कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून
Email id:-ccfadmin-forest-uk@nic.in Ph.No. 0135-2741461, 2746934, Fax-2741630, 2741462

पत्रांक– क- 1249 Ac /2–51(आ0), देहरादूनः दिनांक 06 मई 2024

सेवा में,

समस्त प्रमुख वन संरक्षक/अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/निदेशक/
प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक, उत्तराखण्ड।
(समस्त आहरण–वितरण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष)

विषयः– सरकारी सेवकों को किये गये त्रुटिपूर्ण/अतिरिक्त भुगतान का समायोजन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– शासनादेश संख्या–150543/XXVII(7)/E-58760/2023, दिनांक 30.08.2023, कार्यालय प्रमख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड का पत्र संख्या– क–486/1–8, दि0 12.10.2023 एवं ई–पत्रांक– 536/2–31, दि0 23.01.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि कार्मिकों के वेतन निर्धारण की जाँच/परीक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–150543/XXVII(7)/E-58760/2023, दिनांक 30.08.2023 के प्रस्तर–3 के उपप्रस्तरों में समस्त आहरण वितरण अधिकारियों हेतु निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये गये हैंः–

i. वर्तमान में वेतन पा रहे समस्त कार्मिकों के वेतन निर्धारण की जाँच सम्बन्धित आहरण –वितरण अधिकारी द्वारा आगामी तीन माह में कर ली जाय।
ii. जहाँ कहीं अधिक भुगतान आगणित होता है, वहां वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के पैरा–81(3) अंतर्गत वसूली की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ की जाय।
iii. जब भी किसी कार्मिक को कोई पदोन्नति, वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य किया जाए, तत्समय वेतन निर्धारण किए जाने से पूर्व, पूर्व अवधि के वेतन निर्धारण की जाँच अनिवार्य रूप से कर ली जाए।
iv. जहाँ कार्मिक सेवानिवृत्त हो गए हों वहां वेतन संशोधित/पुनरीक्षित कर तदनुरूप पेंशन भी पुनरीक्षित की जाए।

2– इसी प्रकार शासनादेश में नियंत्रक प्राधिकारियों से भी निम्न अपेक्षा की गई है–

प्रस्तर–3 (iii) नियत्रंक प्राधिकारियों द्वारा जब किसी कार्यालय का निरीक्षण किया जाए तो वहां वेतन से अधिक भुगतान प्रकरणों की वसूली की स्थिति का भी परीक्षण किया जाए।

3– उक्त शासनादेश के अनुपालन में कार्यवाही विषयक सूचना अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी तथा फील्ड डॉयरेक्टर, कार्बेट टाइगर रिजर्व, रामनगर कार्यालय से ही प्राप्त हुई है, **अन्य किसी कार्यालय/प्रभाग से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।**

इस सम्बन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि कृपया उपरिवर्णित शासनादेशानुरूप कार्मिकों के वेतन निर्धारण की सम्पादित जांच सम्बन्धी प्रकरणों की संख्या– जाँचोपरांत पाए गए अधिक भुगतान के प्रकरणों का पूर्ण विवरण एवं उसमें कृत कार्यवाही सम्बन्धी सूचना 31 मई, 2024 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि तद्नुरूप सूचना/विवरण शासन को प्रेषित किया जा सके।

प्रकरण में शीर्षप्राथमिकता एवं व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय

05/05

(डॉ0 धनंजय मोहन)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)

संख्या– / दिनांकित।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, आई.टी. एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट में अपलोड कराने का कष्ट करें।

(डॉ0 धनंजय मोहन)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)